सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।

वित्त समिति की दशम् बैठक दिनाँक 18 मार्च, 2017 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की दशम् बैठक दिनाँक 18 मार्च, 2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे कुलपति सभाकक्ष, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी :–

1. प्रो0 गया प्रसाद, कुलपति, — अध्यक्ष
2. श्रीमती संगीता राहुल, सामाजिक महिला कार्यकत्री — सदस्य
3. श्री शिवराम त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान (प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रतिनिधि) — सदस्य
4. डा0 अरूणेन्द्र सिंह राणा, संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि) — सदस्य
5. प्रौ0 जसवन्त सिंह नेगी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि) — सदस्य
6. श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियन्त्रक — सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

प्रस्ताव संख्या 10.1: वित्त समिति की नवम् बैठक दिनाँक 20 अगस्त, 2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनाँक 20 अगस्त, 2016 को सम्पन्न नवम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 10.2: वित्त समिति की नवम् बैठक दिनाँक 20 अगस्त, 2016 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

वित्त समिति द्वारा दिनाँक 20 अगस्त, 2016 को सम्पन्न नवम् बैठक की अनुपालन आख्या का निम्न संशोधन के साथ अवलोकन किया गया :–

18/3/17

16/03/XVII

प्रस्ताव संख्या–9.7 (ग) विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर 03 फिजिकल शिक्षण अनुदेशक (02 पुरूष एवं 01 महिला) तथा 01 म्यूजिक अनुदेशक एवं 01 कोरियोग्राफी अनुदेशक रखे जाने के सम्बन्ध में अनुपालन पत्र संख्या–सवभाप/अ0छा0क0/2017/6793 दिनांक 18.03.2017 द्वारा किया गया।

प्रस्ताव संख्या–9.7 (घ) विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग में 02 संविदा शिक्षकों को रखे जाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया किन्तु अभी तक कोई उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त नहीं हुआ है। भविष्य में भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 10.3ः वित्तीय वर्ष 2016–17 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 का अनुमानित आय–व्ययक

व्यापक चर्चा के उपरान्त वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुमानित आय–व्ययक पर मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी।

आय–व्ययक वित्तीय वर्ष 2017–18

(रू0 लाख में)

क्रम सं0	विभिन्न प्राप्तियां एवं व्यय	वास्तविक आंकड़े 2014–15	आय–व्यय के अनुमान 2015–16	पुनरीक्षित अनुमान 2015–16	आय–व्यय के अनुमान 2016–17
1	राजस्व प्राप्तियां	5953.94	11432.57	10059.85	13214.21
2	पूँजीगत प्राप्तियां	1876.91	6582.48	6350.73	6760.98
3	**योग (1+2)**	**7830.85**	**18015.05**	**16410.58**	**19975.19**
4	राजस्व व्यय	5667.95	11262.17	9887.10	12731-95
5	पूँजीगत व्यय	1876.91	6582.48	6350.73	6760.98
6	**योग (4+5)**	**7544.86**	**17844.65**	**16237.83**	**19492.93**

19/3/17

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

G. Prasad
18/03/XVII

प्रस्ताव संख्या 10.4: आडिट आपत्तियों की अद्यावधिक स्थिति

वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में लेखाधिकारियों के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर अनुपालन आख्या तैयार करने के प्रयास लगातार किये जा रहे है परन्तु अभी तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए है।

विशेष अभियान चलाकर आपत्तियों को निस्तारित कराये जाने तथा पर्याप्त रूचि न लेने वाले अधिकारियों को सचेत करने के निर्देश दिये गये। वित्तीय हानि से सम्बन्धित प्रकरणों को प्राथमिकता पर निस्तारित कराया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 10.5: माह–जनवरी/फरवरी, 2017 का वेतन भुगतान शिक्षण लेखा शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध विगत वर्षों की बचत से किया जाना।

विश्वविद्यालय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के वेतन माह–फरवरी, 2017 के वेतन भुगतान हेतु धनराशि रू0 60,00,000.00 (रू0 साठ लाख मात्र) की सीमा तक शिक्षण लेखा शीर्ष से स्वीकृति प्रदान की गयी। विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर अधिकारियों/कर्मचारियों (कृषि विज्ञान केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र आदि सहित) हेतु 7वें वेतन आयोग के वेतनमान लागू करने पर हर्ष व्यक्त किया गया। वेतन मद में अतिरिक्त मांग हेतु उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 10.6: कैरियर एडवांसमैंट स्कीम के अन्तर्गत शिक्षकों को बकाया अनुमानित धनराशि रू0 1.20 करोड़ का भुगतान शिक्षण लेखा शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध विगत वर्षों की बचत से किया जाना।

विश्वविद्यालय शिक्षकों को कैरियर एडवांसमैंट स्कीम के अन्तर्गत बकाया अनुमानित धनराशि रू0 1.20 करोड की सीमा तक शिक्षण लेखा शीर्ष से वहन करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

18/3/17

18/03/XVII

प्रस्ताव संख्या 10.7: असमायोजित अग्रिमों की अद्यावधिक स्थिति की समीक्षा

असमायोजित अग्रिमों की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करते हुए अपेक्षा की गयी कि समस्त असमायोजित अग्रिमों को दिनांक 31 मार्च, 2017 तक समायोजन कराने के लिए गम्भीरता से प्रभावी कार्रवाई की जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 10.8: विश्वविद्यालय में अधिकारियों को वाहन भत्ते एवं मोबाईल भत्ते अनुमन्य करने हेतु।

विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण, अधिष्ठाता पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, अधिष्ठाता कृषि, अधिष्ठाता जैव प्रौद्योगिकी एवं अधिष्ठाता स्नातकोतर, निदेशक प्लेसमेंट, प्रभारी अधिकारी भूदृश्य एवं उद्यान उपसंभाग, प्रभारी अधिकारी पुराना परिसर, सहायक निदेशक, सी0आर0सी0, एच0आर0सी0, एल0आर0सी0, सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण (खेल कूद), सहायक निदेशक फार्म, निदेशक शोध एवं प्रसार, महाप्रबन्धक फार्म आदि विभिन्न अधिकारियों को सी0यू0जी0 मोबाईल सुविधा अनुमन्य कराते हुए धनराशि रू0 300.00 प्रतिमाह की सीमा तक प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

विश्वविद्यालय के कतिपय अधिकारियों को धनराशि रू0 4000.00 तथा रू0 2500.00 प्रतिमाह वाहन भत्ता स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर वित्त नियंत्रक द्वारा मन्तव्य व्यक्त किया गया कि अधिकारियों को वाहन भत्ता स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव उ0प्र0 शासन की नीति/शासनादेश के अनुरूप नहीं है। अतः इसके स्थान पर सम्बन्धित अधिकारियों हेतु प्रभारी अधिकारी (पूल वाहन) के कार्यालय में विश्वविद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार

18/3/17

G. Prasad
18/03/XVII

किराये पर वाहन रखे जायें तथा इन्डेंट पर विभिन्न अधिकारियों को आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध करा दिये जायें।

उक्त दोनों प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन उपरान्त उ0प्र0 शासन को प्रेषित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक)/प्रभारी अधिकारी (पूल वाहन))

प्रस्ताव संख्या 10.9: प्रभारी अधिकारी इन्डोर स्टेडियम हेतु किराया रहित आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव पर वित्त नियंत्रक द्वारा मत व्यक्त किया गया कि "इस प्रकार के प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने पर विश्वविद्यालय की आय के स्रोतों में व्यापक कमी आयेगी तथा अन्य कार्मिकों द्वारा भी इसी प्रकार किराया रहित आवास की मांग करने को प्रोत्साहन मिलेगा।" वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के शासनादेश सं0–3028/67–कृ0शि0अ0 –04–1506/96 दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 में निम्न प्रकार उल्लेख किया गया हैः– **"चूँकि विश्वविद्यालय में एक सामान्य भ्रान्ति है कि प्रबन्ध मण्डल कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है, इसलिये इन्हें यह स्पष्ट किया जाए, कि उनके व्यय भार शासकीय अनुदानों पर आधारित है। अतः वित्तीय उपाशय के प्रत्येक निर्णय पर शासन की सहमति के बिना कार्यवाही न की जाय"**

मा0 कुलपति जी द्वारा उक्त प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठक हेतु अग्रसारित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः अधिष्ठाता छात्र कल्याण)

प्रस्ताव संख्या 10.10: कुलपति कार्यालय एवं अन्य आवश्यक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को कार्यालय समय के बाद भी देर रात तक कार्य करने के लिए मानदेय के रूप में प्रोत्साहन भत्ता तथा आवासीय कालोनी में रह रहे कर्मचारियों/ अधिकारियों को

18/3/17

G. Prasad 18/03/XVII

कृषि विश्वविद्यालय कानपुर की भांति आवास अनुरक्षण शुल्क लिये जाने के संबंध में।

समस्त तथ्यों के साथ सुस्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी।

(कार्रवाईः परिसम्पत्ति अधिकारी, कुलसचिव (कार्मिक), अध्यक्ष / सचिव, आवास आवंटन समिति)

प्रस्ताव संख्या 10.11 : कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कार्यरत शिक्षकों की भांति लाभ अनुमन्य करने के संबंध में।

विचार–विमर्श के दौरान पाया गया कि वित्त समिति को विश्वविद्यालय अधिनियम / परिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा कर्तव्य के अनुरूप नहीं होने के कारण प्रस्ताव पर विचार करना उपयुक्त नहीं है। संबंधित प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद के स्तर पर विचार कर लिया जाये।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक))

प्रस्ताव संख्या 10.12: दिनाँक 18 मार्च, 2017 को विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 10वीं बैठक में प्रस्तुत गबन सम्बन्धी प्रकरण।

गबन सम्बन्धी निम्न प्रकरण वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये :–

1. श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक कुलसचिव एवं सचिव, विश्वविद्यालय विधिक समिति द्वारा धोखाधड़ी, कूटरचना, मिली भगत, साजिश कर विश्वविद्यालय के शिक्षण लेखा शीर्ष से धनराशि रू0 16,78,297.00 (रू0 सोलह लाख अठत्तर हजार दो सौ सत्तानवें मात्र) एवं धनराशि रू0 36000.00 (रू0 छत्तीस हजार मात्र) का अग्रिम आहरण कर गबन।

18/3/17

G. Prasad
18/03/XVII

2. श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय के मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित वादों के निस्तारण हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय पैनल के अधिवक्ता श्री पी0के0 गांगुली द्वारा लखनऊ में की गयी यात्रा के दौरान यात्रा भत्ता, होटल में ठहरने एवं खान–पान के बिलों का भुगतान में फर्जी रसीदें तैयार कर धनराशि गबन प्रकरण।
3. श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक कुलसचिव/सदस्य, विधिक सचिव द्वारा अनेकों यात्रा–टिकटों के पी0एन0आर0 फर्जी तैयार कर यात्रा भत्ता देयकों का आहरण।

वित्त समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित प्रकरणों को आवश्यक कार्रवाई हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को प्रेषित किया जाये।

(कार्रवाई: अध्यक्ष, विधिक समिति)

अन्त में सचिव वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

18/3/17
(सत्येन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक/सचिव, वित्त समिति

अनुमोदित

G. Prasad
(प्रो0 गया प्रसाद) 18/03/XVII
कुलपति/अध्यक्ष